Drought prone districts in Andhra Pradesh

3217. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the susceptible drought-prone districts in Andhra Pradesh;

(b) the assistance rendered to the State during the last three years, year-wise to carry out relief to drought victims; and

(c) further assistance proposed to be given as requested by the State Government to construct houses for the victims?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Eleven districts namely Adilabad, Chittoor, Cuddapah, Kurnool, Khammam, Medak, Mahabubnagar, Nalgonda, Prakasam, Rangareddy and Srikakulam have been identified as drought-prone districts in Andhra Pradesh. In addition Anantpur district is covered under the Desert Development Programme.

(b) The following amounts were released to the State Government as Central share of Calamity Relief Fund for carrying out the relief measures in the wake of natural calamities including drought:—

Year	Amount (Rs. in crores)
1993-94	64.50
1994-95	64.50
1995-96	111.19 (including advance release of one instalment for 1996-97)

(c) No such request has been received from the State Government.

Criteria for appointment of coaches in K.V.S.

3218. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Kendriya Vidyalaya Sangathan have some criteria in accordance with which coaches for summer camps, S.G.F.I., etc., are appointed and paid; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) Kendriya Vidyalaya Sangathan has informed that qualified and experienced Physical Education Teachers of Kendriya Vidyalayas and coaches from Sports Authority of India are deputed for organising Summer Coaching Camps and S.G.F.I. etc. Honorarium to outside coaches is paid as per Kendriya Vidyalaya Sangathan Rules.

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान

3219. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के मौजूदा योगदान को बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमानों के अनुसार, 1980-81 के मूल्यों पर, 1994-95 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र (कृषि, वानिकी तथा मत्स्यन) का अंश 29.4 प्रतिशत था। 1980-81 के मूल्यों पर कृषि क्षेत्र की घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1980-81 में 46649 करोड़ रुपये था जो 1994-95 में बढ़कर 73600 करोड़ रुपये हो गया और 1980-81 से 1994-95 तक उसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में कुल सकल घरेलू उत्पाद 122427 करोड़ रुपये से बढ़कर 251010 करोड़ रुपये हो गया अर्थात उसमें 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों आदि में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारण कृषि का सापेक्ष अंश सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के बावजूद भी कम रह गया है। सफल घरेलू उत्पाद और कृषि क्षेत्र का अंश दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंश के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। वैसे, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और उसकी आत्मनिर्भरता हासिल करना आदि था। कृषि के संबंध में आठवीं योजना का एक मुख्य उद्देश्य खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए अधिशेष तैयार करने के लिए कृषि में वृद्धि तथा विविधिकरण करना है। आठवीं योजना में अलग-अलग फसलों के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। एक विवरण संलग्न (नीचे देखिए)

(ङ) इस समय, कृषि क्षेत्र में कुल श्रमशक्ति का लगभग दो तिहाई भाग लगा हुआ है।

विवरण—1

घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (कृषि/कुल)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल अर्थव्यवस्था		कृषि		कृषि का प्रतिशत शेयर	
	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर
1980-81	122427	122427	46649	46649	38.1	38.1
1988-89	352706	188461	114073	62214	32.3	33.0
1989-90	408662	201453	127051	63263	31.1	31.4
1990-91	477814	212253	148001	65653	31.0	30.9
1991-92	552768	213983	172771	64118	31.3	30.0
1992-93	630182	224887	193045	68017	30.6	30.2
1993-94	723103	236064	221746	70231	30.7	29.8
1994-95*	854103	251010	265914	73688	31.1	29.4

* त्वरित अनुमान

विवरण—II

आठवीं योजना (1996-97) के लिए प्रमुख फसलों के अखिल भारतीय लक्ष्य

फसल	क्षेत्र (मिलियन है)	उत्पादन (मिलियन टन)	पैदावार (कि० ग्रा०/है०)
1. चावल	43.50	88.00	2027
2. गेहूं	24.25	66.00	2722
3. मोटा अनाज	37.75	39.00	1033
4. दालें	24.50	17.00	694
5. सभी खाद्यान्न	130.00	210.00	1615
6. तिलहन	24.5	23.0	939
7. गन्ना	3.90	275.00	70513
8. कपास	7.50	14.00*	317
9. पटसन और मेस्ता	1.00	9.50**	1710
10. अन्य फसलें	23.70		
11. सभी सफलें	190.60		

* प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें

** प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें

दिल्ली में भूमिगत रेलवे परियोजना

3220. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय भूमिगत रेलवे परियोजना किस स्थिति में है;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ होगा तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) कार्य आबंटन नियम- 1986 के अनुसार व्यापक द्रुत पाश्वहन प्रणाली दिल्ली का कार्य शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार दिल्ली के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली को सिद्धांत रूप से जुलाई, 1994 में अनुमोदित कर दिया है और शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से अंतिम निवेश का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध पहले में पूरी की जा चुकी कार्रवाईयां हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के माध्यम स विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना परियोजना की, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा विस्तृत वित्तीय/आर्थिक लागत लाभ विश्लेषण तैयार करना, ओ ई सी एफ (जापान) के समक्ष परियोजना के लिए सरल ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली सरकार की भागीदारी के कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी पंजीकृत कराना, और इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों को सरल बनाने और इनकी निगरानी करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना/ओ ई सी एफ (जापान) ने भी हाल ही में स्वतंत्र रूप से परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया है और यह पाया है कि यह परियोजना ओ ई सी एफ (जापान) की सहायता के लिए स्वीकार्य होगी। बहरहाल, इस परियोजना के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करने से संबंधित उनके निर्णय को, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के अंतिम निवेश के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4182 करोड़ रुपये है।